



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032020-218791
CG-DL-E-19032020-218791

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2020/फाल्गुन 26, 1941

No. 150]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2020/PHALGUNA 26, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2020

सा.का.नि. 176 (अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की उपधारा 27 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल: jspb-morth@gov.in, पर भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... .. संशोधन) नियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) में

i) घोषणा में, प्रपत्र 1 में निम्नलिखित शब्द और आंकड़े "(घ) क्या आप आसानी से वर्णक रंगों, लाल और हरे रंग में अंतर कर सकते हैं हां / नहीं?" का लोप किया जाएगा।

ii) चिकित्सा प्रमाणपत्र में प्रपत्र 1क में निम्नलिखित शब्द और आंकड़े, "3 (ख) क्या आवेदक आपके विवेक का सर्वश्रेष्ठ रूप से वर्णक रंगों, लाल और हरे रंग में आसानी से अंतर कर सकता है हां / नहीं?" का लोप किया जाएगा।

iii) चिकित्सा संबंधी स्वस्थता प्रमाणपत्र में, प्रपत्र 1क में क्रम संख्या (iv) के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, नामतः -

"(V) आवेदक की रंग पहचानने की क्षमता की जांच मानक इशियारा चार्ट का उपयोग करके की गई है और आवेदक को गंभीर या पूरी तरह से रंग न पहचानने की समस्या से पीड़ित नहीं पाया गया है।"

[सं.आरटी-11012/03/2015-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपधारा (i) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590 (अ), 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि..... (अ), दिनांकित.....द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2020

G.S.R 176(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by subsection 27 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), email : jspb-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.** -(1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (..... Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules).

- i) In FORM 1, in the declaration, the following words and figures, “(d) Can you readily distinguish the pigmentary colours, red and green Yes/No?” shall be omitted.
- ii) In FORM 1 A, in the Medical Certificate, the following words and figures, “3(b) Can the applicant to the best of your judgment readily distinguish the pigmentary colours, red and green Yes/No?” shall be omitted.
- iii) In FORM 1 A, in the Certificate of Medical Fitness, after the serial number (iv), the following serial number and words shall be inserted, namely:-
- “(v) Applicant’s colour vision has been tested using standard ishihara chart and the applicant has not been found suffering from severe or total colour blindness.”

[No. RT-11012/03/2015-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note. The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R.....(E), dated